प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–6/2018/190/64–2–2018–1(64)/2006, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों के लिए संचालित "ओ" लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना को वित्तीय वर्ष 2018–19 से ऑनलाईन कर दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के अन्य पिछड़े वर्ग के युवक/युवतियों द्वारा "ओ" लेवल एवं सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराने हेतु आवेदन किया जा सकता है। **ऑनलाईन आवेदन किये जाने की तिथि 21 जून से 15 जुलाई तक होगी**। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट http://backwardwelfare.up.nic.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर अन्य पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। इस हेतु दिशा–निर्देश/समय–सारणी उक्त वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दी गयी है।

प्रशिक्षणार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों में यदि कोई सूचना/तथ्य त्रुटिपूर्ण/गलत/फर्जी पाये जाते है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थियों का होगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी क़े पास ऐसे आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे आवेदनों पर पुनः विचार नही किया जायेगा।

(महेश कुमार कण्डवाल)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
मेरठ।

कार्यालयः– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मेरठ।

पत्रांकः–410 /पि0व0क0/कम्प्यू0–प्रशि0/2018–19 दिनाकः– 06 जून, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद– मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को अतिरिक्त 10 प्रतियां इस अनुरोध के साथ कि स्थानीय समाचार पत्रों में कृपया निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. नाजिर विकास भवन, मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. DIO. NIC को इस अनुरोध के साथ कि कृपया जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
मेरठ।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संचालित "ओ" लेवल एवं "सी.सी.सी." कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना हेतु समय सारिणी जुलाई सत्र के लिए

क्र0 सं0	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही हेतु निर्धारित समयावधि
1.	स्तर–1	नीलिट से "ओ" लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं "सीसीसी" कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभागीय वेबसाइट backwardwelfare.up.nic.in पर दिये गये लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना एवं मान्यता से सम्बन्धित अभिलेखों व आधारभूत ढाँचे का विवरण अपलोड करने के साथ हार्ड कॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, लखनऊ में उपलब्ध कराया जाना।	05 जून से 14 जून तक।
2.	स्तर–2	आवेदन करने वाली संस्थाओं का भौतिक सत्यापन एवं अभिलेखों का परीक्षण करना तथा सत्यापन रिपोर्ट निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना।	05 जून से 14 जून तक।
3	स्तर–3	निदेशालय स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं में से जनपद स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु संस्थाओं का चयन करना।	15 जून से 20 जून तक।
4.	स्तर–4	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा "ओ" लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं "सी.सी.सी." कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शैक्षिक व अन्य अभिलेखों को अपलोड़ किया जाना। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का प्रिंट प्राप्त करना, आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन करना एवं उनकी जॉच करना।	21 जून से 15 जुलाई तक।
5.	स्तर–5	प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग एवं अभ्यर्थियों का जिला स्तरीय चयन एवं चयनित सूची का जिलाधिकारी से अनुमोदन।	16 जुलाई से 20 जुलाई तक।
6.	स्तर–6	चयनित अभ्यर्थियों की सूची चयनित संस्था/संस्थाओं को उपलब्ध कराना।	21 जुलाई
7.	स्तर–7	प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का नीलिट में रजिस्ट्रेशन कराना एवं प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया जाना। ।	21 जुलाई से 30 जुलाई तक।
8.	स्तर–8	जनपदवार चयनित प्रशिक्षणार्थियों का संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ कराया जाना।	01 अगस्त से

Scanned by TapScanner

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ''ओ'' लेवल एवं ''सी0सं म्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु तकनीकी ान संबंधी दिशा–निर्देश

''ओ'' लेवल एवं ''सी0सी0सी0'' कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के आवेदन प्रकिया के लिए सर्वप्रथम शिक्षण संस्थाओं द्वारा दिशा–निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया जाय। ऑनलाईन आवेदन में समस्त प्रविष्टियाँ अँग्रेजी में भरा जायेगा।

1. **ऑनलाईन फार्म भरने की प्रकिया निम्नवत हैः–**

स्टेप–1– सामान्य निर्देश, तकनीकी निर्देश, शासनादेश, आवेदन/रजिस्ट्रेशन प्रपत्र को डाउन लोड कर भली–भाँति अध्ययन करना।

स्टेप–2– ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने हेतु विभागीय वेबसाइट backwardwelfare.up.nic.in पर दिये गये लिंक पर click करने के उपरान्त दिये हुये विकल्प रजिस्टर योर सेल्फ (register yourself) द्वारा आवेदक को स्वयं रजिस्टर करना होगा।

स्टेप–3– रजिस्टर करने के उपरान्त आवेदक को अपनी ई–मेल और पासवर्ड के द्वारा पुनः website : पर लॉगिन करना होगा।

स्टेप–4– वेबसाइट पर दिये गये option में Apply for services ⇨ View services ⇨ O level institiue Registration under Backward class welfare पर click करना।

स्टेप–5– संस्था द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/आवेदन भरते समय समस्त प्रविष्टियों को सही अंकित करना।

स्टेप–6– जिन सूचनाओं के आगे * बना है, उनको भरा जाना अनिवार्य है। इसके बिना फार्म स्वीकार नहीं होगा।

स्टेप–7– जिन सूचनाओं के आगे स्लेक्ट बॉक्स बना है, उस बॉक्स को click करने पर जो option दिखायी देंगे, उनमें से एक का चयन करना है।

स्टेप–8– ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों को सत्यापित करने की घोषणा हेतु नीचे दिये गये बॉक्स पर click करें।

स्टेप–9– Submit करने के पश्चात् कम्प्यूटर द्वारा जनरेटेड अप्लीकेशन नम्बर को सुरक्षित रखा जाना।

Scanned by TapScanner

स्टेप–10– आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुये आवेदन का प्रिन्ट आउट लिया जायेगा एवं समस्त संबंधित अभिलेखों को संलग्न करते हुये, आधारभूत ढाँचे के विवरण के साथ हार्ड कॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, लखनऊ में निर्धारित तिथि के पूर्व जमा कराने के उपरान्त आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

स्टेप–11– संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन अथवा हार्ड कॉपी के साथ संलग्न अभिलेखों में यदि कोई सूचना/तथ्य त्रुटिपूर्ण/गलत/फर्जी पाये जाते है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा। निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण के पास ऐसे आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे आवेदनों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

स्टेप–12– किसी भी तकनीकी में व्यवधान उत्पन्न होती है, तो उसके निवारण हेतु निम्न नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
1–श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (योजना अधिकारी) मोबाइल नम्बर--9076600580
2–श्री सुशील द्विवेदी, ऑफिस असिस्टेंट मोबाइल नम्बर–7398481223

निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

Scanned by TapScanner